

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 266]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2013—ज्येष्ठ 31, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जून, 2013 (ज्येष्ठ 31, शक 1935)

स्थान रिक्त घोषित होने के संबंध में संशोधित अधिसूचना

क्र. 13226-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), क्रमांक 265, दिनांक 20 जून, 2013 में मुद्रित विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित कराई गई अधिसूचना क्रमांक 13145-वि.स.-विधान-2013, दिनांक 20 जून 2013 में संशोधन करते हुए, निम्नांकित अधिसूचना एतद्वारा प्रकाशित की जाती है :—

“मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 220—रतलाम सिटी से निर्वाचित सदस्य, श्री पारस दादा के निर्वाचन के विरुद्ध उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इन्दौर में दाखिल निर्वाचन याचिका क्रमांक 06/2009 पर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इन्दौर द्वारा श्री पारस दादा के निर्वाचन को शून्य घोषित किए जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश विधान सभा में उक्त स्थान रिक्त हो गया है.”

राजकुमार पांडे,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.